

O—P—Q—R—

S—T Line passes along the western boundary of plot number 115, 117, then through plot number 116 and southern boundary of plot numbers 63, 66, 90/1, through plot number 90/1, then along the eastern boundary of plot numbers 90/1, 80, 82, 83, 85, then along the southern boundary of plot number 85 then through plot No. 90/1, 51, then along the western boundary of plot No. 1/1 then through plot No. 1/1, and along the western boundary of plot No. 51, 52, 51 then through plot number 1/1, 54, of village Bhejinara and meets at point 'T'.

T—U—U1 Line passes in village Bhejinara through plot numbers 54, 1/1, 4, 5, 7, 9, 11, 24 then proceeds  
A in village Singhali through plot number 97, 95, 93/1, then passes in village Abhaipur through plot number 34 passes in village Dhadhab through plot number 395, then passes in village Arda through along the southern boundary of plot number 38 then through plot number 41, 42, 83, then southern boundary of plot number 60 then through plot numbers 83, 87, 86, 161, 163, 169, 167, 166, 174, 178, 179, 180, 161 and meets at the starting point 'A'.

[No-43019/8/84-CA/LSW]

नई दिल्ली, 15 मई, 1990

का.आ. 1501 :- केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 13 जून, 1987 में प्रकाशित, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1478 तारीख 26 मई, 1987 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 7400.00 एकड़ लगभग या 2994.63 के माप वाली भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 5427.56 एकड़ (लगभग) या 2196.42 हैक्टर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित की जानी चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 5427.56 एकड़ (लगभग) या 2196.42 हैक्टर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित की जाती है ।

2. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांकों का निरीक्षण उपायुक्त हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में, या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

अशोक ब्लाक

उत्तर कर्णपुरा कोलफील्ड

रेखांक सं. राजस्व/20/88

तारीख 18-8-88

(जो अर्जित भूमि दर्शाती है )

सर्ची अधिकार

क्र सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
1.	बाली	टंडवा	69/226	हजारीबाग	119.36	भाग
2.	बिजेन	"	83/240	"	370.00	"
3.	सिदालु	"	84/241	"	155.00	"

क्रम सं. ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
4. थथांगी	टंडवा	86/243	हजारी बाग	250.00	भाग
5. सराय	"	87/244	"	413.00	"
6. चिरलौंगा	"	88/245	"	151.00	"
7. केलारा	"	89/246	"	132.00	"
8. देम्बुआ	"	90/247	"	397.55	पूर्ण
9. झुलुन्दा	"	91/248	"	109.00	भाग
10. तोरहाद	"	93/250	"	284.00	भाग
11. हेजदा	"	94/251	"	856.00	भाग
12. कुटकी	"	95/252	"	1227.26	भाग
13. कुटकी खुर्द उर्पा सेना	"	96/253	"	448.00	पूर्ण
14. बेन्ती	"	97/254	"	515.39	भाग
;					
कुल क्षेत्र : 5427.56 एकड (लगभग)					
या 2196.42 हेक्टर (लगभग)					

बाली ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

415 (भाग), 429 (भाग), 430 (भाग), 432 (भाग), 434 (भाग), 435 से 438, 439 (भाग), 440 और 445.

विजयन ग्राम प्लॉट संख्यांक :

1 से 264 265 (भाग), और 295 से 339.

सिदालु ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

2 (भाग), 4(भाग), 5(भाग), 7(भाग), 8(भाग), 9 से 12, 13 (भाग), 14 (भाग), 15 से 126, 127 (भाग), 128 से 141, 142 (भाग), 143, 144 (भाग), 145 से 156, 157 (भाग), 158 (भाग), 159 से 160 (भाग), 163 (भाग), 174 (भाग), 175 (भाग), 185 (भाग), 188 (भाग), और 189.

थथांगी ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

3 (भाग), 4(भाग), और 5 से 62.

सरायी ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

1 से 112, 113 (भाग), 114 से 123, 124 (भाग), 128 (भाग) और 131 (भाग).

चिरलुंगा ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

191 (भाग), 192 (भाग), 193, 194 और 195 (भाग).

कोइलारा ग्राम में अर्जित प्लॉट सं.

213 (भाग), 217 (भाग), 218 (भाग), 221 (भाग), 222(भाग), 224 (भाग), 225 (भाग), 237 (भाग) , 411 (भाग), एक असंख्यांकित प्लॉट (भाग), 428 (भाग), 430 (भाग), 431 (भाग), 432 (भाग), 433 (भाग), 434, (भाग), 458 (भाग), 459 (भाग) और 461.

दुम्बुआ ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

1 से 285

झुलुन्दा ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

9 (भाग), 10 से 42, 43 (भाग), 46 (भाग), 47, 48, 49 (भाग), 50 (भाग), 51 (भाग), 51 (भाग), 52 (भाग), 53 (भाग), 61 (भाग), 68 (भाग), 74 (भाग), 75 (भाग), 76 से 81. 82 (भाग), 101 (भाग), 102, 103 (भाग) , 105 और 106.

तीरहर ग्राम में अर्जित प्लॉट सं. :

1 (भाग), 104 (भाग), 105 (भाग), 106 (भाग), 107 (भाग), 111 (भाग), 112, 113, 114 (भाग), 115, 116, 117 (भाग), 118 से 146, 147 (भाग), 148, 149 (भाग), 150 (भाग) और 158 (भाग).  
हेंगदा ग्राम में अर्जित प्लॉट सं. :

1 (भाग), 13 (भाग), 14 (भाग), 15 (भाग), 16 से 27, 28 (भाग), 29 से 87, 88 (भाग), 89, 90 (भाग), और 91 से 553.

कुटकी ग्राम में अर्जित प्लॉट सं. :

1 से 252, 253 (भाग), 254 (भाग), 255 से 263, 264 (भाग), 265, 266 (भाग), 268 (भाग), 269 से 441, 442 (भाग), 443 (भाग) और 444 से 727.

कुटकी खुर्द उर्फ थैना ग्राम में अर्जित प्लॉट सं. :

1 से 214

बेंती ग्राम में अर्जित प्लॉट सं. :

72 (भाग), 138 (भाग), 154 (भाग), 155, 156, 157 (भाग), 158 (भाग), 159 से 169, 170 (भाग), 174 (भाग), 175 (भाग), 176, 177 (भाग), 178 (भाग), 194 (भाग), 195 (भाग), 196 (भाग), 206 (भाग), 1209 (भाग), 1210, 1211 (भाग), 1212 से 1218, 1219 (भाग), 1220 (भाग), 1221 (भाग), 1480 से 1592, 1593 (भाग), 1596 (भाग), 1597 से 1609, 1610 (भाग), 1611 (भाग) और 1612.

सीमा वर्णन

क-ख	रेखा वाली ग्राम में प्लॉट संख्यांक 415 से होकर जाती है फिर चिरलुंगा ग्राम में प्लॉट संख्यांक 192 और 191 से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।
ख-ग	रेखा चिरलुंगा ग्राम में प्लॉट संख्यांक 191 और 192 से होकर जाती है, फिर सराया ग्राम में प्लॉट सं. 124, 113, 131 और 128 से होकर गुजरती है और "ग" बिन्दु पर मिलती है।
ग-घ	रेखा सराया पांगी ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है फिर बरिहद ग्राम में प्लॉट सं. 1, 117, 111, 107, 106, 104, 105, 114, 117, 150, 149 147 और 158 से होकर जाती है और "घ" बिन्दु पर मिलती है।
घ-ङ	रेखा हेंगदा ग्राम में प्लॉट सं. 88, 13, 14, 15 और 28 से होकर जाती है, झुलुंडा ग्राम के प्लॉट सं. 101, 103, 82, 68 से होकर प्लॉट सं. 77 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ प्लॉट सं. 74, 75, 61, 43, 46 49, 50, 51, 52, 53 और 9 से होकर जाती है और "ङ" बिन्दु पर मिलती है।
ङ-च	रेखा कोयलारा और झुलुंडा ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "च" पर मिलती है।
च-छ-ज	रेखा कोयलारा ग्राम में प्लॉट सं. 432, 431, 411 एक असंख्यांकित प्लॉट सं. 430, 428, 237, 225, 224, 222, 221, 218 प्लॉट सं. 214 की पूर्वी सीमा होकर फिर प्लॉट संख्यांक 213, 234, 433 और 458 से होकर जाती है और "ज" बिन्दु पर मिलती है।
ज-झ-ञ	रेखा कोयलारा ग्राम के प्लॉट सं. 461 की पश्चिमी सीमा से होकर जाती है फिर दामोदर नदी की केन्द्रीय रेखा (जो हजारीबाग और रांची की सम्मिलित जिला सीमा बनाती है) के साथ-साथ जाती है और "ञ" बिन्दु पर मिलती है।
ञ-ट	रेखा बेंती ग्राम में प्लॉट सं. 1219 (नदी), 1220, 1221, 1211 और 1209 से होकर जाती है, फिर कुटकी ग्राम में प्लॉट सं. 443, 442, 268, 267, 266, 264, 254 और 253 से होकर जाती है (जो कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन पिपरवार ब्लॉक की सम्मिलित सीमा बनाती है और "ट" बिन्दु पर मिलती है।



ठ-ठ-	रेखा कुटकी और वेंती ग्रामों की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है फिर वेंती ग्राम में प्लॉट सं. 1610, 1611, 206, 1596, 1593, 196, 195, 194, 170, 174, 175, 177, 178, 158, 157, 154, 138 और 72 से होकर जाती है जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन पिपरवार ब्लॉक के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "ठ" पर मिलती है।
ठ-ड-ढ	वेंती ग्राम में प्लॉट सं. 73 से होकर जाती है फिर कुटकी खुर्द उर्फ बेना और वेंती, निजंन और वेंती ग्रामों की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है, प्लॉट सं. 265 (नाला) होकर और सिदालु ग्राम की भागत: पश्चिमी सीमा होकर फिर सिदालु ग्राम प्लॉट सं. 185, 127, 185, 142, 144, 175, 174, 157, 158, 160, 163, 188 और 4 से होकर जाती है (जो कोयला धारक (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन पिपरवार ब्लॉक के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और "ढ" बिन्दु पर मिलती है।
ढ-ण	सिदालु ग्राम में प्लॉट सं. 4, 5, 7, 13, 8, 5, 2, 14, और 2 होकर जाती है और थयांगी ग्राम में भागत: संख्यांक 3 और 4 होकर जाती है और बिन्दु "ण" पर मिलती है।
ण-त-क	थयांगी और सराया, सराया और खंधार, चिरलुंगा और खंधार ग्रामों की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है; बाली ग्राम में प्लॉट सं. 434, 423, 439, 430, 429, और 415 होकर जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।
ध-न-ध	रेखा कोयलारा ग्राम में प्लॉट सं. 459, 432, 431, 430, 237 होकर जाती है, फिर प्लॉट सं. 213, 433 की भागत: पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है फिर प्लॉट सं. 458 होकर जाती है और बिन्दु "ध" पर मिलती है।
थ-द	रेखा दामोदर नदी की भागत: उत्तरी किनारे के साथ-साथ जाती है और "द" बिन्दु पर मिलती है।
द-ध	रेखा कोयलारा और देम्बुआ ग्रामों की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ध" पर मिलती है।
	टिप्पण : थ-द-ध-न-थ द्वारा सीमित रेखा अर्जन के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित है

[सं. 43015/13/89-एल.एस. डब्ल्यू]

बी० बी० राव, अवर सचिव

New Delhi, the 14th May, 1990

S.O. 1501.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1478 dated the 26th May, 1987, published in the Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (ii), dated the 13th June, 1987 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the land measuring 7400.00 acres (approximately) or 2994.63 hectares (approximately) in the locality specified in the schedule appended to that notification ;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government :

And whereas the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Bihar is satisfied that the land measuring 5427.56 acres (approximately) or 2196.42 hectares (approximately) described in the schedule appended hereto ;  
should be acquired

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 5427.56 acres (approximately) or 2196.42 hectares (approximately), described in the said schedule;

is hereby acquired.

2. The plans of the area covered by the notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section) Darbhanga House, Ranchi.

SCHEDULE  
ASHOK BLOCK  
NORTH KARANPURA COALFIELD

Drug. No. Rev/20/88  
Dated 18-8-88  
(Showing land acquired)

ALL RIGHTS

Serial Number	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bali	Tandwa	69/226	Hazaribagh	119.36	Part
2.	Bijain	Tandwa	83/240	Hazaribagh	370.00	Part
3.	Sidalu	Tandwa	24/241	Hazaribagh	155.00	Part
4.	Thathangi	Tandwa	86/243	Hazaribagh	250.00	Part
5.	Saraya	Tandwa	87/244	Hazaribagh	413.00	Part
6.	Chirlunga	Tandwa	88/245	Hazaribagh	151.00	Part
7.	Koilara	Tandwa	89/246	Hazaribagh	132.00	Part
8.	Dembua	Tandwa	90/247	Hazaribagh	397.55	Full
9.	Jhulunda	Tandwa	91/248	Hazaribagh	109.00	Part
10.	Torhad	Tandwa	93/250	Hazaribagh	284.00	Part
11.	Henjda	Tandwa	94/251	Hazaribagh	856.00	Part
12.	Kutld	Tandwa	95/252	Hazaribagh	1227.26	Part
13.	Kutki Khurd alias Thena	Tandwa	96/253	Hazaribagh	448.00	Full
14.	Benti	Tandwa	97/254	Hazaribagh	515.39	Part

Total area :— 5427.56 acres (approximately)  
or 2196.42 hectares (approximately).

Plot numbers acquired in village Bali :-415 (Part), 429 (Part), 430 (Part), 432 (Part), 434 (Part), 435 to 438, 439 (Part) and 440 to 445.

Plot numbers acquired in village Bijain :-1 to 264, 265 (Part) and 295 to 339.

Plot numbers acquired in village Sidalu :-2 (Part), 4 (Part), 5 (Part), 7 (Part), 8(Part), 9 to 12, 13 (Part), 14 (Part), 15 to 126, 127 (Part), 128 to 141, 142 (Part), 143, 144 (Part), 145 to 156, 157 (Part), 158 (Part), 159, 160 (Part), 163 (Part), 174 (Part), 175 (Part), 185 (Part), 188 (Part) and 189.

Plot numbers acquired in village Thathangi :-3(Part), 4 (Part) and 5 to 62.

Plot numbers acquired in village Saraya :-1 to 112, 113 (Part), 114 to 123, 124 (Part), 128 (Part) and 131 (Part).



Plot number acquired in village Churlunga :—191 (Part), 192 (Part), 193, 194 and 195 (Part).

Plot numbers acquired in village Koilara :—213 (Part), 217, 218 (Part), 221 (Part), 222 (Part), 224 (Part), 225 (Part), 237 (Part), 411 (Part), one un-numbered plot (Part), 428 (Part), 430 (Part), 431 (Part), 432 (Part), 433 (Part), 434 (Part), 458 (Part), 459 (Part) and 461.

Plot numbers acquired in village Dambua :—1 to 285.

Plot numbers acquired in village Jhulunda :—9 (Part), 10 to 42, 43 (Part), 46 (Part), 47, 48, 49 (Part), 50 (Part), 51 (Part), 52 (Part), 53 (Part), 61 (Part), 68 (Part), 74 (Part), 75 (Part), 76 to 81, 82 (Part), 101 (Part), 102, 103 (Part), 105 and 106.

Plot numbers acquired in village Torhad :—1 (Part), 104 (Part), 105 (Part), 106 (Part), 107 (Part), 111 (Part), 112, 113, 114 (Part), 115, 116, 117 (Part), 118 to 146, 147 (Part), 148, 149 (Part), 150 (Part), and 158 (Part).

Plot number acquired in village Henjda :—1 (Part), 13 (Part), 14 (Part), 15 (Part), 16 to 27, 28 (Part), 29 to 87, 88 (Part), 89, 90 (Part), and 91 to 553.

Plot numbers acquired in village Kutki :—1 to 252, 253 (Part), 254 (Part), 225 to 263, 264 (Part), 265, 266 (Part), 267 (Part), 268 (Part), 269 to 441, 442 (Part), 443 (Part) and 444 to 72.

Plot numbers acquired in village Kutki Khurd alias Thana :—1 to 214.

Plot numbers acquired in village Benti :—72 (Part), 138 (Part), 154 (Part), 155, 156, 157 (Part), 158 (Part), 159 to 169, 170 (Part), 174 (Part), 175 (Part), 176, 177 (Part), 178 (Part), 194 (Part), 195 (Part), 196 (Part), 206 (Part), 1209 (Part), 1210, 1211 (Part), 1212 to 1218 1219 (Part), 1220 (Part), 1221 (Part), 1480 to 1592, 1593 (Part), 1596 (Part), 1597 to 1609, 1610 (Part), 1611 (Part) and 1612.

#### BOUNDARY DESCRIPTION :—

- A—B line passes through plot number 415 in village Bali, then through plot numbers 192 & 191 in village Chirlunga and meets at point 'B'.
- B—C line passes through plot numbers 191 and 195 in village Chirlunga, then through plot numbers 124, 113, 131 and 128 in village Saraya and meets at point 'C'.
- C—D line passes along part common boundry of villages Sarayad and Thathangi, than through plot numbers 1, 117, 111, 107, 106, 104, 105, 114, 117, 150, 149, 147 and 158 in village Torhad and meets at point 'D'.
- D—E line passes through plot numbers 8, 13, 14, 15 and 28 in village Henjda, through plot numbers 101, 103, 82, 68, Northern boundary of plot number 77 through plot number 74, 75, 71, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53 and 9 in village Jhulunda and meets at point E.
- E—F line passes along part common boundary of villages Koilara and Jhulunda and meets a point 'F'.
- F—G—H lines pass through plot numbers 432, 431, 411, one un-numbered plot, 430, 428, 237, 225, 224 222, 221, 218, eastern boundry of plot number 214, through plot numbers 213, 434, 433 and 458 in village Koilara and meets at point 'H'.
- H—I—J lines pass western boundary of plot number 461 of village Koilara, than passes along central line River Damodar (which part forms common distriot boundry of Hazaribagh and Ranchi) and meets at point 'J'.
- J—K line passes through plot numbers 1219 (River), 1220, 1221, 1211 and 1209 in village Benti through plot numbers 443, 442, 268, 267, 266, 264, 254 and 253 in village Kutki (which forms part common boundary of Piparwar Block U/s 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1987 and meets at point 'K'.

- K—L** line passes along part common boundary of villages Kutki and Benti, through plot number<sup>r</sup> 1610, 1611, 206, 1596, 1598, 196, 195, 194, 170, 174, 175, 177, 178, 158, 157, 154, 138 and 72 in village Benti (which forms part common boundary of Piparwar Block under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 and meets at point 'L'.
- L—M—N** line passes through plot number 72 in village Benti, then passes along part common boundary of villages Kutki Khurd alias Thena and Benti, Nijain and Benti, through plot number 265 (Nalla) and part western boundary of village Sidalu, through plot numbers 185, 127, 185, 142, 144, 175, 174, 157, 158, 160, 163, 188 and 4 in village Sidalu (which forms part common boundary of Piparwar Block Extn. under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 and meets at point 'N'.
- N—O** line passes through plot numbers 4, 5, 7, 13, 8, 5, 2, 14 and 2 in village Sidalu through part numbers 3 and 4 in village Thathangi and meets at point 'O'.
- O—P—A** lines passes along part common boundary of villages Thathangi and Saraya, Saraya and and Khandhar, Chirlunga and Khandhar through plot numbers 434, 432, 439, 430, 429 and 415 in village Bali and meets at starting point 'A'.
- S—T—Q** line passes through plot numbers 459, 432, 431, 430, 237, along part eastern boundary of plot numbers 213, 433, through plot number 458 in village Koilara and meets at 'point 'Q'.
- Q—R** line passes along part norther bank of River Damodar and meets at point 'R'.
- R—S** line passes along part common boundary of villages Koilara and Dembua and meets at point 'S'.

Note :—Lines bounded by Q—R—S—T—Q is excluded portion from the perview of acquisition.

[No. 34015/13/89-LSW]

B.B. RAO, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 3 मई, 1990

का. आ. 1502.—केन्द्रीय सरकार, दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दन्त परिषद् से परामर्श करने के बाद, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची के भाग-1 में क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

“33. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मास्टर आफ डेंटल सर्जरी (विकलदन्त एम. डी. एम. (आर्थो) अखिल नई दिल्ली। विज्ञान) 1 मई, 1989 को अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उसके बाद प्रदान की गई यह अर्हता नई दिल्ली।” मान्यताप्राप्त दन्त अर्हता होगी।

[संख्या की. 12018/1/90-पी. एम. एम.]

आर. श्रीनिवासन, अवर सचिव

टिप्पण:—अनुसूची के भाग-1 में बाद में निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किया गया है:—

(1) का. आ. संख्या 1548 दिनांक 3 मई, 1988





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]  
No. 21]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 26, 1990/ज्येष्ठ 5, 1912  
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26, 1990/JYAISTHA 5, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than  
the Ministry of Defence)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली 3 मई, 1990

का.आ. 1451—मंत्रिमंडल सचिवालय के सुरक्षा स्कंध के, भर्ती, काहर और सेवा के नियम 21-10-75 को लागू हुए  
और उन्हें कर्मचारियों के परिशीलन तथा निरीक्षण के लिये उक्त कार्यालयों में रखा गया है। अब पुनः उन्हें कर्मचारियों के परिशीलन  
तथा निरीक्षण के लिए उक्त कार्यालयों में रखा गया है।

[फा० सं० 1/40/89/कार्मिक-14/5285]

अरविन्द दवे, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd May, 1990

in the offices of the said wing for perusal and inspection by  
the employees concerned, have been once again placed in  
the said offices for their perusal.

S.O. 1451.—The Rules relating to Recruitment, Cadre and  
Service of the Security Wing of the Cabinet Secretariat, which  
came into force on 21st October, 1975 and which were placed

[F. No. 1/40/89-Pers-14/5285]

ARVIND DAVE, Jr. Secy.

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1990

का.आ. 1452—केंद्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) की धारा 6 के उपबन्धों के अनुमरण में, अपने  
द्वारा नियुक्त किए गए और वर्ष 1990 के प्रारम्भ में विधि व्यवसाय करने वाले नोटेरियों की सूची प्रकाशित करती है :—

क्र.सं.	नोटरी का नाम	आवासीय और वृत्तिका पता	अर्हताएं	वह क्षेत्र जिसमें वह विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत
1	2	3	4	5
1.	श्री ए. मईयद अली	53, आरमेनियन स्ट्रीट मडान, तामिलनाडु	अधिवक्ता	सम्पूर्ण भारत